समक्ष माननीय श्रीमान् राजस्व बोर्ड ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी – 3394/2018/जबलपुर/भू.रा.

राजस्व रिवीजन क्र. ..../2018

आंवेदक :- अतुल साहू आत्मज श्री ओंमकार प्रसाद साहू उम्र करीब 40 वर्ष व्यवसाय– धंधा, निवासी– म.नं. 02775, त्रिपुरी चौक, गढ़ा, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा

अनावेदक :-1 श्रीमान कलेक्टर महोदय, जबलपुर, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)

2 अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग गोरखपुर, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)

राजस्व रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1956

आवेदक निम्नलिखित प्रार्थना करता है :-

यह कि, आवेदक माननीय जिलाध्यक्ष महोदय जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 438/बी–121/2017–18 में अनुविभागीय अधिकारी गोरखपुर, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) के प्रतिवेदन दिनांक 10/07/2017 (अपर कलेक्टर शहर) जबलपुर के माध्यम से दिनांक 08/03/2018 से दुखित होकर माननीय राजस्व बोर्ड ग्वालियर (म. प्र.) के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों के आधार पर यह राजस्व रिवीजन माननीय राजस्व बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करता है –

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग, गोरखपुर जबलपुर के प्रतिवेदन दिनांक 10/07/2017 के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि अधीनस्थ न्यायालय में लंबित अपील क्र. 72/अ–6/2012–2013, 70/अ–3/2012–2013 एवं 14/अ–6/2011–2012 से यह त्रुटि संज्ञान में आयी कि तहसील व जिला जबलपुर स्थित ग्राम पुरवा नं.बं. 162 की भूमि सर्वे नंबर 29–67 में से 169251/77 वर्गमीटर भूमि जिसे न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर एंव सक्षम अधिकारी नगर भूमि सीमा में जबलपुर

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 3394/2018/जबलपुर/भू.रा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित।. आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 438/बी–121/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 08.03.18 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29/3/19 <u>अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर</u>	